आयुक्त एवं निदेशक उद्योग

(ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश

निर्यात भवन, प्रथम तल, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ 226001

टेली/फैक्सः +91-522-2616313, e-mail - odopcell@gmail.com,

Website: http://www.odopup.in

पत्रांक 289 /ओडीओपी प्रकोष्ठ /2020–21

दिनांक 17.07.2020

समस्त उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–13/2018/861/18–4–2018–18(विविध)/टी0सी0, दिनांक 24.09.2018 द्वारा स्वीकृत एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 423/18–4–2018–18(विविध)/17टी0सी0–I दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना" के कतिपय प्राविधानों में संशोधन किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

संशोधित शासनोदश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर, इस निर्देश के साथ प्रेषित है, कि तत्काल तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(गोविन्द राजू एन.एस.)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उ0प्र0

पृष्ठाकंन /तद्‌दिनांक जुलाई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, अनुभाग–4, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0,।
3. संयोजक राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, परिक्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0,

(गोविन्द राजू एन.एस.)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उ0प्र0

Scanned with CamScanner

संख्या-423 /18-4-2020-18(विविध)/17टी0सी0-।

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ उ0प्र0
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 14 जुलाई,2020

विषय- एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत शासनादेश संख्या-13/2018/861/18-4-2018-18(विविध)/टी0सी0, दिनांक 24-9-2018 द्वारा स्वीकृत एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36/ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण सहायता योजना/2020-21, दिनांक 26-5-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-13/2018/861/18-4-2018-18(विविध) /17टी0सी0-।, दिनांक 24-9-2018 द्वारा प्रारम्भ की गयी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत "वित्त पोषण हेतु सहायता योजना" के प्रस्तर-3,4 एवं प्रस्तर-5(1) से 5(7) तथा प्रस्तर-5(8) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

शा0सं0- 13/2018/861/18-4-2018-18(विविध)/ 17 टी0सी0-1 दिनांक 24.09.2018 में उल्लिखित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
3-आवेदन की प्रक्रिया :- (1)लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं परियोजना प्रपत्र, समस्त आवश्यक/संगत अभिलेख सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को प्रस्तुत किया जाएगा। (2) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को पावती प्राप्त कराई जायेगी।	**3-आवेदन की प्रक्रिया :-** (1)योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा केवल ऑन-लाइन माध्यम से योजना के ई-पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। ऑफ-लाइन आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। योजनान्तर्गत समस्त वांछित अभिलेख लाभार्थी द्वारा ऑन-लाइन आवेदन-पत्र के साथ ई-पोर्टल पर अप-लोड किये जायेंगे। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन द्वारा ऐसे लाभार्थियों की हैण्ड-होल्डिंग की जायेगी जो ऑन-लाइन आवेदन करने में किन्हीं कारणवश कठिनाई का सामना कर रहे हैं।आवेदक अपने लॉग इन से आवेदन-पत्र के स्टेटस के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

4-चयन की प्रक्रिया :- (1) लाभार्थी का चयन निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति (DLTFC) के माध्यम से किया जाएगा :- (क) जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष) (ख) अग्रणी बैंक के जिला प्रबधक (सदस्य) (ग) वित्त पोषण करने वाले प्रमुख बैंकों के जिला समन्वयक (सदस्य) (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि (सदस्य) (ड.) जनपद के चयनित उत्पाद से सम्बंधित विभागीय अधिकारी (सदस्य) (च) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (सदस्य सचिव/संयोजक) (2)उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सम्यक परीक्षण के उपरान्त टास्क फ़ोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । (3)जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया संपादित की जायेगी । (4)टास्क फ़ोर्स समिति द्वारा योजना की उपयोगिता, आर्थिक संभाव्यता(viability) इत्यादि बिन्दुओं के सम्यक परीक्षण के उपरान्त लाभार्थी का चयन किया जाएगा ।	**4-चयन की प्रक्रिया :-** (1) चयन की प्रक्रिया योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति (DLTFC) के माध्यम से नहीं की जायेगी, अपितु टास्क फ़ोर्स का कार्य त्रैमासिक आधार पर योजना की प्रगति समीक्षा करने तक होगा । (2)जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में ऑन-लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण स्कोरिंग मॉडल के आधार पर किया जाएगा । (3)ऑन-लाइन माध्यम से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्रारम्भिक परीक्षण उपायुक्त उद्योग द्वारा किया जाएगा । आवेदक की हैण्डहोल्डिंग करते हुए उपायुक्त द्वारा आवेदक से वार्ता करते हुए योजना के प्राविधानों के अंतर्गत आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को अग्रसारित किया जाएगा । (4)प्रारम्भिक मूल्यांकन के पश्चात उपायुक्त उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र ऑन-लाइन रूप में ही सीधे ई-पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित बैंक शाखा को अग्रसारित किये जायेंगे । (5) उपायुक्त उद्योग द्वारा ऑन-लाइन रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन उसी कार्यप्रणाली से किया जाएगा जिस कार्यप्रणाली के आधार पर बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है । यह मूल्यांकन एक स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) के आधार पर किया जाएगा । कोई भी आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक को अग्रसारित करने हेतु स्कोर कार्ड पर न्यूनतम 50 अंक आवश्यक हैं, इससे कम अंक प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे एवं बैंकों को अग्रसारित नहीं किये जायेंगे । ऐसे निरस्त आवेदन-पत्र निरस्तीकरण का आधार स्पष्ट करते हुए, स्कोर कार्ड सहित आवेदक को वापिस प्रेषित कर दिए जायेंगे जिससे कि आवेदक भविष्य में कमियों में सुधार करते हुए पुनः आवेदन कर सके ।

Scanned with CamScanner

5-वित्त पोषण की प्रक्रिया :- (1)जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति के क्रमवार अंकित किया जाएगा एवं उक्तानुसार समिति के समक्ष रखा जाएगा ।	**5-वित्त पोषण की प्रक्रिया :-** (1) आवेदन पत्र ई-पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन रूप में ही प्राप्त किये जा सकेंगे ।
(2)साक्षात्कार हेतु जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स कमेटी की बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी ।	(2) उपायुक्त उद्योग द्वारा स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्रों को ऑन-लाइन रूप से ई-पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति (DLTFC) के माध्यम से नहीं की जायेगी, अपितु टास्क फ़ोर्स का कार्य त्रैमासिक आधार पर योजना की प्रगति समीक्षा करने तक सीमित होगा।
(3) लाभार्थी के चयन के उपरान्त 07 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाएगा ।	(3) स्कोर कार्ड के आधार पर प्रारम्भिक मूल्यांकन के पश्चात उपायुक्त उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र 07 दिन के अन्दर ऑन-लाइन रूप में ही सीधे ई-पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित बैंक शाखा को अग्रसारित किये जायेंगे ।
(4) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा । स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बैंक शाखा द्वारा तत्काल जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को सूचित किया जाएगा ।	(4) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में ऑन-लाइन माध्यम से ई-पोर्टल पर प्राप्त होने के 01 माह के अन्दर शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लेते हुए ई-पोर्टल पर तत्संबंधी सूचना अपडेट की जायेगी।
(6) स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोंपरांत सम्बंधित बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जायेगी ।	(6) स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोंपरांत सम्बंधित बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण करते हुए तत्संबंधी सूचना ई-पोर्टल पर अपडेट की जायेगी ।
(7) प्रशिक्षण के उपरान्त 01 माह के अन्दर सम्बंधित बैंक शाखा द्वारा ऋण की प्रथम किशत लाभार्थी को वितरित कर दी जायेगी ।	(7) प्रशिक्षण के उपरान्त 01 माह के अन्दर सम्बंधित बैंक शाखा द्वारा ऋण की प्रथम किशत लाभार्थी को वितरित करते हुए समस्त विवरण ई-पोर्टल पर ऑन-लाइन अंकित कर दिया जाएगा ।
(8) ऋण की प्रथम किशत के वितरण के पश्चात 07 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने	(8) सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण की धनराशि स्वीकृत होने के बाद मार्जिन मनी की धनराशि अवमुक्त

Scanned with CamScanner

वाली शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी०बी०टी०)के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।	करने पर सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा जिस व्यक्ति को मार्जिन मनी स्वीकृत किया जाना है वह व्यक्ति योजना द्वारा निर्धारित सभी मापदंड पूर्ण करता हो। सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् धनराशि आहरित कर अवमुक्त की जा सकेगी। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक खाते में नही रखी जायेगी, अपितु डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।

2- शासनादेश संख्या-13/2018/861/18-4-2018-18(विविध) /17टी0सी0-I, दिनांक 24-9-2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उपर्युक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-423 /(1)/18-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
5- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6-संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,उ0प्र0 लखनऊ।
7-समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0।
8-समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष बाबू)
अनुसचिव।

Scanned with CamScanner

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना

आवेदनकर्ता का नामः–

1. **व्यक्तिगत विवरण**

क्र. स.	क्रेडिट आंकलन के मुख्य घटक	अधिकतम अंक	अंको हेतु मापदण्ड	अंक	प्राप्त अंक
1	आयु (हाई स्कूल का प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड अपलोड करें)	5	50 वर्ष से अधिक	4	
			18 से 50 वर्ष	5	
2	आश्रितो की संख्या (स्वघोषित)	2	3 आश्रित तक	2	
			3 आश्रित से अधिक	1	
3	व्यक्तिगत/पैत्रिक मकान (बिजली बिल/गृहकर इत्यादि अपलोड करें)	5	हॉ	5	
			नही	2	
4	दिए गए पते पर कब से निवास करते है? (स्वघोषित)	5	5 वर्ष से अधिक समय से	5	
			2 से 5 वर्ष	3	
			2 से वर्ष कम समय से	2	
5	शैक्षणिक योग्यता (योग्यता से सम्बन्धित उच्चतम डिग्री एवं तकनीकी डिग्री यदि हो की प्रति अपलोड करें)	8	परास्नातक/स्नातक/तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा	8	
			हाई स्कूल/इंटरमीडिएट	7	
			निरक्षर	6	
6	प्रस्तावित उदयम के सम्बन्ध में पूर्व तकनीकी जानकारी/अनुभव (अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा अन्य सुसंगत प्रमाण–पत्र अपलोड करें)	20	3 वर्ष से अधिक	20	
			1 से 3 वर्ष	15	
			1 वर्ष से कम	5	
			कोई अनुभव नही	0	
7	आय का अन्य स्रोत (परिवार की आय सहित)	5	हॉ	5	
			नही	3	
8	आयकर हेतु मूल्यांकित (पैनकार्ड की प्रति अपलोड करें)	2	हॉ	2	
			नही	1	
9	जीवन बीमा धारण करते है PMSBY, PMJJBY, APY व अन्य कोई जीवन बीमा (सम्बन्धित बीमा की प्रति अपलोड करें)	3	हॉ	3	
			नही	2	
10	ऋण प्रदाता बैंक के साथ सम्पर्क इतिहास (सम्बन्धित बैंक शाखा में चालू/बचत खाता के पास बुक का प्रथम पेज अपलोड करें)	5	3 वर्ष से अधिक	5	
			1 से 3 वर्ष	3	
			1 वर्ष से कम	2	
			नई इकाई	2	
11	परियोजना स्थापित करने हेतु कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता व बाजार से नजदीकी	10	हॉ	10	
			नही	1	
12	कौशल प्रमाण–पत्र/प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र/RSETI से प्राप्त प्रशिक्षण/ITI से प्राप्त प्रशिक्षण/कम्प्यूटर प्रशिक्षण (जो भी लागू हो, उसका प्रमाण–पत्र अपलोड करें)	5	हॉ	5	
			नही	3	
13	उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ सम्बद्वता	5	हॉ	5	
			नही	1	
14	अभ्यर्थी द्वारा ऋण भुगतान की सम्भावित अवधि	5	5 वर्ष तक	5	
			5 वर्ष से अधिक	2	
15	संभावित रोजगार सृजन	10	10 से अधिक	10	
			5 से 10 तक	5	
			स्वरोजगार	3	

Scanned with CamScanner

16	अभ्यर्थी द्वारा बैंक को कोलेट्रल सिक्योरिटी दिए जाने की स्थिति	5	सहमत	5	
			असहमत	2	
17	अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त अंतिम रूप से प्राप्त किया गया अंक				
	योग	**100**			

नोटः— अभ्यर्थी की ऋण पत्रावली की स्क्रुटनी के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रपत्रों का मूल प्रपत्रों से मिलान/परीक्षण कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं जो अभिलेख/प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे, उन मदों में शून्य अंक कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

—स्व—घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कु0... पिता/पत्नी/पुत्री श्री.................... .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्र.स.:1 से 16 तक में दी गयी समस्त जानकारियां सही है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि हेतु मैं कानूनी रूप से पूर्णतया उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम........................

मोबाइल न0........................

परीक्षणकर्ता **अनुमोदनकर्ता**

Scanned with CamScanner